

कोटा प्रणाली ने बढ़ाई चीनी मिलों की मुश्किल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही चाकचौबंद बंदोबस्त कर दिया हो, लेकिन चीनी मिलों की सांसत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसका असर गन्ना किसानों के भुगतान पर भी पड़ रहा है। घरेलू बाजार को नियंत्रित करने के लिए फिर से चालू की गई कोटा प्रणाली ही मिलों के लिए मुश्किलें पैदा करने लगी हैं। बाजार की वास्तविक सूचना के अभाव में कोटा निर्धारण भारी पड़ने लगा है। फरवरी और मार्च में जारी चीनी का कोटा नहीं बिक पा रहा है। इसका सीधा असर गन्ने के भुगतान पर पड़ रहा है, जो लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने लगा है।

सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा कर समस्या का समाधान करने का प्रयास तो किया है, लेकिन उसे लागू करने की प्रक्रिया कारगर नहीं है। इससे चीनी मिलों के साथ गन्ना किसान भी हलकान होने लगे हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चालू पेरॉई सत्र में 15 मार्च तक मिलों में कुल 275 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले पेरॉई सत्र में इस तिथि तक 258 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा का कहना है कि चालू सत्र में उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र में पेरॉई पहले शुरू हो गई। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों के मिलों में पेरॉई तेजी से बंद हो रही है। इन दोनों राज्यों में पिछले साल अब तक 149 मिलें चल रहे थे, जबकि इस बार केवल 110 मिलों में पेरॉई चल रही है। इस्मा के मुताबिक, गन्ना एरियर पिछले साल अब तक जहां केवल 15 हजार करोड़ रुपये था, वह चालू सत्र में बढ़कर 22,800

प्रभावित हो रहे किसान



- केंद्र के उपायों पर आधे-अधूरे अमल से नहीं सुलझ पा रही समस्या
- लोकसभा चुनाव में सरकार को भुगतान पड़ सकता है खामियाजा

करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। चालू पेरॉई सत्र के समाप्त होते समय मिलों के पास अब तक का सर्वाधिक 125 लाख टन चीनी का कैरिओवर स्टॉक होगा। इससे आगामी पेरॉई सत्र के भी प्रभावित होने का खतरा है। समस्या की मूल वजह गिनाते हुए इस्मा के महानिदेशक ने कहा कि सरकार ने दनादन कई उपाय तो किए, लेकिन उन उपायों पर कारगर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा सारे उपायों का असर आधा-अधूरा ही है।

सरकार में बैठे अफसर बाजार की वास्तविकता को समझे बगैर औने-पौने तरीके से फैसले ले रहे हैं, जिसका नतीजा मिलों को भुगतान पड़ रहा है। फरवरी और मार्च में घरेलू बाजार के लिए चीनी का जो कोटा निर्धारित किया गया, उसने बाजार को चारों खाने चित कर दिया है। वर्ष 2013 में कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। उसे अब लागू करके बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश तो हुई, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ रहा है। फरवरी में 21.50 लाख टन का कोटा जारी किया गया, जो बिक नहीं पाया है। जबकि, मार्च में इसे और बढ़ाकर 24.5 लाख टन कर दिया गया।

Dainik Jyran

20/3/2019